प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक- 18 मार्च, 2019**

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि के समतुल्य मैचिंग राज्यांश की धनराशि (के0-60:रा0-40) की वित्तीय स्वीकृति (अनुदान संख्या-13)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-237/सम्प्रेक्षा/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2018-19 दिनांक 07.03.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के पत्र संख्या- J-12036/01/2018-RH(A/C)-6-Uttar Pradesh, दिनांक 05.02.2019 के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत सामान्य मद (अन्य) में वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 4.997 लाख भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पी0एफ0एम0एस0 खाते में सीधे अवमुक्त की गयी है। अतः उक्त प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 4.997 लाख के समतुल्य मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0 3.331 लाख अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव आपके उपर्युक्त प्रस्ताव दिनांक 07.03.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत सामान्य मद (अन्य) में वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 4.997 लाख के समतुल्य मैचिंग राज्यांश की धनराशि **रू0 3.331 लाख (रू0 तीन लाख तैंतीस हजार एक सौ मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 में प्राविधानित धनराशि से आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) आकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति की धनराशि जनपदों को निर्गत करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 संतुष्ट हो लेंगें कि योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश संबंधित खाते में प्राप्त हो चुकी है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करते समय प्रभावी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो, सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 का होगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों में, योजना हेतु निर्धारित गाईडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं उपबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

(9) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 द्वारा योजनान्तर्गत व्यय की गयी धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 निर्धारित प्रारूप पर व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(10)स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में दिये गये निर्देशों तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11)इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-04-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- यू0 ओ0-ई-2-235/X-2019, दिनाक-18-03-2019 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अशोक कुमार

विशेष सचिव।

संख्या- 05 /2019/ 155(1)/38-4-2019, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(2) महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(3) निदेशक, (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
(4) अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के0 स0) अनुभाग।
(10) राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
(11) विशेष कार्याधिकारी बजट प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
(12) गार्डबुक।

आज्ञा से,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in